न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 51/2020

पारस कुमार पुत्र मधुसुदन उम्र 38 साल जाति जाट निवासी सांवलोद तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू राज.।

–अपीलार्थी

–बनाम–

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश 633 दिनांक 21.01.2016
न्यायालय तहसीलदार बुहाना ।

उपस्थितिः–

1 श्री द्वारका प्रसाद, एडवोकेट ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ——रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 26.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश 633 दिनांक 21.01.2016 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 376/2 रकबा 1.05 हैक्टर कुल रकबा 1.74 हैक्टर का अपीलांट एकांकी रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट ने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर में से 0.42 अर्थात 4200 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भू संपरिवर्तन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी बुहाना के यहां आवेदन किया जिस पर बाद जांच आवेदित भूमि में से इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार सड़क के मध्य से नियत दूरी छोड़ते हुये 0.42 हैक्टर का संम्परिवर्तन करने का आदेश दिनांक 08.12.2015 को पारित कर दिया जिसके लिए उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि 0.42 हैक्टर के अलावा 0.06 हैक्टर भूमि उपरोक्त खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 है0 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.27 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

रास्ता हेतु नियमानुसार छोड़ दी गई व शेष भूमि रकबा 0.15 हैक्टर कृषि योग्य बच गई। उक्त संम्परिवर्तन आदेश का अपीलांट द्वारा नियमानुसार दिनांक 18.01.2016 को उपपंजीयक बुहाना के यहां पंजीयन करवाया । उक्त संम्परिवर्तन आदेश के आधार पर तहसीलदार बुहाना रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 633 गलत रूप से तस्दीक कर अपीलांट के हक में दर्ज ना कर बिना किसी आधार के गलत रूप से ग्राम पंचायत सांवलोद के हक में खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.42 हैक्टर गै0 मु0 आबादी दर्ज कर तस्दीक कर दिया। जबकि भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर से ग्राम पंचायत सांवलोद का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का कभी भी नहीं रहा। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। अपीलांट के अधिकारों का हनन। उक्त नामांतरकरण सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 8.12.2015 के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसका कोई मिलान राजस्व रिकार्ड से नहीं किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 ग्राम सांवलोद में भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर के नये खसरा नंबर 1014/367 रकबा 0.63 हैक्टर बने हैं जो भी अपीलांट के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि से ग्राम पंचायत सांवलोद का कोई संबंध नहीं है, इसलिए नामान्तरकरण संख्या 633 ग्राम पंचायत सांवलोद को निरस्त होने योग्य है। आवेदक ने विवादित भूमि को सम्परिवर्तित करवाने के बाद तहसीलदार बुहाना द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 633 पूर होने के बाद दिनांक 21.01.2016 को तस्दीक किया गया था। आवेदक ने आई.आई.टी. बोम्बे से पास करने के बाद से ही बम्बई में प्राईवेट कम्पनी में नोकरी करनी शुरू कर दी थी व उसका गांव में अना-जाना काफी कम हो गया। इसलिए विवादिरत भूमि का सम्परितर्वन करवाने के बाद उसने विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आवेदक माह अगस्त 2020 में अपने गांव आया व पटवारी हल्का से दिनांक 02.9.2020 को मिला व जमाबंदी की नकल ली तथा राजस्व रिकार्ड का पता किया तो उसे उक्त नामान्तरकरण संख्या 633 की जानकारी हुई। जिस पर उसने उसी दिन दिनांक 2.9.2020 को पटवारी हल्का सांवलोद से उक्त नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 02.9.2020 को प्राप्त की और अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विवादित नामांतरकरण संख्या 633 ग्राम सांवलोद निरस्त करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.27 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 376/2 रकबा 1.05 हैक्टर कुल रकबा 1.74 हैक्टर का अपीलांट एकांकी रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट ने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर में से 0.42 अर्थात 4200 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भू संपरिवर्तन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी बुहाना के यहां आवेदन किया जिस पर बाद जांच आवेदित भूमि में से इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार सड़क के मध्य से नियत दूरी छोड़ते हुये 0.42 हैक्टर का संपरिवर्तन करने का आदेश दिनांक 08.12.2015 को पारित कर दिया जिसके लिए उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि 0. 42 हैक्टर के अलावा 0.06 हैक्टर भूमि उपरोक्त खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 है0 में से रास्ता हेतु नियमानुसार छोड़ दी गई व शेष भूमि रकबा 0.15 हैक्टर कृषि योग्य बच गई। उक्त संम्परिवर्तन आदेश का अपीलांट द्वारा नियमानुसार दिनांक 18.01.2016 को उपपंजीयक बुहाना के यहां पंजीयन करवाया । उक्त संम्परिवर्तन आदेश के आधार पर तहसीलदार बुहाना रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 633 गलत रूप से तस्दीक कर अपीलांट के हक में दर्ज ना कर बिना किसी आधार के गलत रूप से ग्राम पंचायत सांवलोद के हक में खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.42 हैक्टर गै0 मु0 आबादी दर्ज कर तस्दीक कर दिया। जबकि भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर से ग्राम पंचायत सांवलोद का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का कभी भी नहीं रहा। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। अपीलांट के अधिकारों का हनन। उक्त नामांतरकरण सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 8.12.2015 के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसका कोई मिलान राजस्व रिकार्ड से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विवादित नामांतरकरण संख्या 633 ग्राम सांवलोद निरस्त करने की कृपा करें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । जहां तक नामांतरकरण संख्या 633 ग्राम [illegible] का प्रश्न है। उक्त नामांतरकरण उपखण्ड अधिकारी बुहाना के भूमि संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/भू.रू/15/ 647–51

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.27 16:39:00 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

दिनांक 8.12.2015 के आधार पर तस्दीक किया गया है। ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नंबर 392 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 376/2 रकबा 1.05 हैक्टर कुल रकबा 1.74 हैक्टर का अपीलांट एकांकी रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहा है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.63 हैक्टर से ग्राम पंचायत सांवलोद का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 633 अपीलांट के हक में दर्ज ना कर बिना किसी आधार ग्राम पंचायत सांवलोद के हक में गलत रूप से दर्ज कर खसरा नंबर 367/2 रकबा 0.42 हैक्टर गै0 मु0 आबादी दर्ज कर तस्दीक किया गया है जो बिना किसी आधार के दर्ज होने के कारण उक्त नामांतरकरण संख्या 633 ग्राम सांवलोद विधिक प्रावधानों के विरूद्व तस्दीक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 633 दिनांक 21.01.2016 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त भूमि के संबंध उपखण्ड अधिकारी बुहाना के भूमि सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक राज/भू.रू/15/ 647–51 दिनांक 8.12.2015 के आधार पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही सम्पादित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

26.10.21
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.27 13:39:00 IST
Reason: SelfAttested

26.10.21
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू